पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–165/2022

1. दिनदास पुत्र मोटदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–27.03.23

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता मोटदास पुत्र रुघदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू के नाम चक 9 एसएसएम का मुरब्बा मु0नं0 28/52 व 28/60 में कुल 12.5185 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता का सही नाम मोटदास है तथा उक्त रकबा की खातदेारी सनद व प्रार्थी पिता के अन्य समस्त दस्तावेजों में भी प्रार्थी के पिता का नाम मोटदास अंकित है तथा प्रार्थी के पिता का पता गांव हरदेसर है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम मोउदास व गांव का नाम हरियासर अंकित हो गया है। जो कि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाना चाहता है तथा के पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी के पिता के नाम की व पता की जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के पक्ष में दस्तावेज राशनकार्ड, खातेदारी, गिरदावरी, मूलआवंटन पत्रावली की प्रति पेश की। जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम मोटदास व पता में गांव का नाम हरदेसर अंकित है। मूल आवंटन पत्रावली में आवेदन व शपथपत्र में प्रार्थी के पिता का नाम मोटदास व पता में गांव का नाम हरदेसर अंकित है। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार उक्त वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मोडदास पुत्र रुघदास जाति स्वामी सा0 हरियासर तहः सरदारशहर दर्ज है। ना0सं0 38, 119 में उक्त भूमि मोठदास पुत्र रुघदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील सरदारशहर अंकित है। गिरदावरी नकल संवत् 2048–51 के कॉलम सं0 37 मं आवंटन के नोट में मोटदास पुत्र रुघदास सा0 हरदेसर तहः सरदारशहर अंकित है। जबकि चौसला गिरदावरी संवत् 2052–55 बनते समय सहवन से मोटदास का मोउदास व सा0 हरदेसर का हरियासर अंकित हो गया एवं उक्त नाम की शुद्धि की जानी उचित है। बहस सुनी गई।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष है कि चक 9 एसएसएम का मुरब्बा मु0नं0 28/52 व 28/60 में कुल 12.5185 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता का नाम मोउदास व गांव का हरियासर के स्थान पर पिता का नाम मोटदास व गांव का नाम हरदेसर किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मोउदास व गांव का हरियासर के स्थान पर पिता का नाम मोटदास व गांव का नाम हरदेसर नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)